

12/9/20

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आर०एम० वाद सं०-51/2019-20

अभिलेख उपस्थापित :- अंचल अधिकारी, राहे का पत्रांक-95(ii) दिनांक-13/02/2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हैं। अभिलेख के साथ संलग्न जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है।

1. प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत रामचरण महतो वो वीशटु महतो पेशरान हरीदास महतो वगैरह के नाम से दर्ज है।
2. खतियानी रैयत/पंजी-II के साथ आवेदक का संबंध:-पंजी-II में पृष्ठ सं० 9811 उपलब्ध नहीं है।
3. पंजी-II के अनुसार रैयत का नाम:-पंजी-II में पृष्ठ सं० 9811 उपलब्ध नहीं है।
4. पंजी-II में जमाबंदी दर्ज नहीं है।
5. सर्वे खातियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन कायमी किसम की है।
6. हल्का कर्मचारी द्वारा उपर्युक्त विषय के आलोक में राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया। मौजा-ईचाहातु, के पंजी-II में खाता सं० 106 पेज सं० 9811 उपलब्ध नहीं है। प्रतिवेदन सूचनार्थ एवं आदेशार्थ। पुनश्च चालू पंजी-II में जमाबंदी दर्ज नहीं है। अतः वंशावली का सत्यापन स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। मौजा-ईचाहातु खूटकटी मौजा है।

अतः अंचल अधिकारी, राहे द्वारा अनुशंसा सहित प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में उक्त वाद को अस्वीकृत किया जाता है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
ईचाहातु	सोनाहातु/43	106	190	26 डी० चौहददी उ०-कृष्ण महतो। द०-राधा साहु। पू०-घनेश्याम महतो। प०-अमुल्य साहु।
			514	36 डी० चौहददी उ०-नरहरि महतो। द०-कैलाश महतो। पू०-श्रीहरि महतो। प०-वासुदेव महतो।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बुण्डू (राँची)।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बुण्डू (राँची)।